कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैंण

Phone N0/ Fax No: 01363.278533 Mail: eeedgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 427 /1एल.ए. दिनांक 30 /04/2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत ब्लाक गैरसैंण में खजूरखाल से निगलानी–तिमुलपानी– गोगनानी– दमदड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.975 है॰ वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/189/2016/एफ0सी0/1770, दिनांक 25.01.2018, व आपका पत्रांक 1718/1एल0ए0 दिनांक 19.10.2019, पत्रांक संख्या 1723/12–1 गोपेश्वर दिनांक 30.09.2021, एवं पत्रांक संख्या 2922/12–1 गोपेश्वर दिनांक 31.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है, कि इस खण्ड के पत्र संख्या 1458/1एल0ए0 दिनांक 23.11.2019 द्वारा अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गयी, जो आपके कार्यालय पत्रांक 1967/12–1 दिनांक 02.12.2019 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी। जिसमें नोडल अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 1602/FP/UK/ROAD/17042/2015 देहरादून, दिनांक 03 जनवरी 2020 द्वारा चार आपत्तियाँ लगायी गयी, जिसका निराकरण इस खण्ड के पत्र संख्या 312/1एल0ए0 दिनांक 28.02.2020 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी। तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1198/1एल0ए0 दिनांक 04.09.2021 द्वारा पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 7 शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की गयी जिसके प्रत्युत्तर में आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 1723/12–1 गोपेश्वर दिनांक 30.09.2021 द्वारा पुनः कतिपय प्रपत्रों की छायाप्रति तथा मानचित्रों की रंगीन छायाप्रति प्रेषित करने हेतु कहा गया था। अतः पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 7 शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है–

क्र	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.951 है0 ग्राम– भन्डारीखोड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायगी।	प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.951 है0 ग्राम हरगढ़ सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0. 16,58,335.00 मात्र (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) वन विभाग के पक्ष NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6117042428 date 07.09.2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी भुगतान चालान की प्रति संलग्न है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, पूर्व में इस खण्ड द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का डिजिटल मानचित्र एवं सी0ए0 पैच का मानचित्र ग्राम– भण्डारीखोड़ (कुनीगाड़) का सी0ए0 मैप संलग्न किया गया जिसे जिलाधिकारी चमोली द्वारा गोचर भूमि किस्म की होने पर आपत्ति दर्ज की गयी। पुनः राजस्व विभाग द्वारा ग्राम हरगढ़ में सी0ए0 मैप का चयन किया गया, जिस कारण सिविल भूमि बदली गयी तथा वन विभाग के पक्ष में सिविल भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 5863/छब्बीस (2017–2018) दिनांक 12 जुलाई 2018 के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी चमोली का पत्र एवं दस्तावेज संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0. 19,54,575.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6117042428 date 07.09.2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है, भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जमा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी, इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् दोनो किनारों पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जाएगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
6	State Govt. will upload the muck disposal detail in component wise breakup at para B2.4 online part I.	Since there is no **Forest land** utilised for muck dumping yard in this road but 0.1347 **hectare of Private naap land** is proposed for muck dumping yards. hence the same was not mentioned in component wise breakup in part-I. however muck dumping plan has been uploaded with compliance report online and hard copy is attached with this letter.
7	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents. However, FRA Certificate, digital maps of are proposed for diversion and CA, Part I to V should be in original.	The hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents. However, FRA certificate, digital maps of area proposed for diversion and CA, part I to V in original uploaded and attached.

पूर्व में शर्त संख्या 07 के अनुसार इस खण्ड द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित की गयी है, जिसके अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में सुझायें गये आवश्यक प्रपत्रों तथा मानचित्रों की छायाप्रति 04 प्रतियों में संलग्न कर विधिवत् स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं.सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गैरसैंण, चमोली।

पत्रांक /1एल.ए. तद्दिनांकित /04/2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 7 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता–।। निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण को सूचनार्थ एवं Report update कराने हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गैरसैंण, चमोली।